महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, गुजरात एवं मध्यप्रदेश का लोकप्रिय समाचार पत्र

RNI No. MAHHIN/2013/49425
डाक पंजीयन सं. MNW/251/2016-2018
e-paper : www.srushtiagronews.com

Posted at Malad NDPO Dated of Posting
4th to 5th for (1st to 15th issue)
18th to 19th for (16th to 30th issue)

ग्रामीण विकास का सम्पूर्ण पाक्षिक समाचार पत्र

सृष्टि एग्रो

वर्ष -5 | अंक-17 | मुंबई, 1 से 15 अक्टूबर 2017 | मूल्य - 2 रुपए | पृष्ठ - 8

मुख्यमंत्री बोले : किसानों के आएंगे अच्छे दिन

वर्धा/नागपुर (कासं)। सीएम देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी ने सोमवार को सिंदी रेलवे के ड्रायपोर्ट समेत जिले में करीब 5 हजार करोड़ की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रायपोर्ट के निर्माण से आयात-निर्यात को गति मिलेगी। इससे विदर्भ के किसान व उद्योजकों के अच्छे दिन आएंगे। अंचल के किसान अपने उत्पाद विदेश भेजकर लाभान्वित हो सकेंगे। नागपुर के मिहान कार्गो हब के साथ ही बूटीबोरी से वर्धा तथा वर्धा से यवतमाल के बीच बनाए जा रहे फोरलेन की वजह से विदर्भ के किसानों और उद्योजकों के अच्छे दिन आएंगे। सिंदी रेलवे में

ड्रायपोर्ट के निर्माण से किसान और उद्योजक अपने उत्पाद सीधे विदेश भेज सकेंगे। इससे यहां आयात-निर्यात को गति मिलेगी। उक्त बातें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कही हैं।

सिंचाई सुविधा पर गंभीरता से ध्यान देना जरूरी : गडकरी

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किसानों की स्थिति में सुधार के लिए सिंचाई सुविधाओं पर गंभीरता से ध्यान दिए जाने की बात कही। कहा कि सिंचाई क्षेत्र को 18 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी किया जाएगा। आगामी समय में खादी ग्रामोद्योग को प्रोत्साहित करने के साथ ही विश्वस्तर पर मांग को मद्देनजर रखते हुए जूट, रेशम, कपास, बांबू व लिनेन के कच्चे माल से सूत और सूत से कपड़ा तैयार करने के क्षेत्र में संशोधन किया जाएगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अधिकाधिक अवसर पैदा किए जा सकें।

खरीफ में 35 लाख टन घट सकता है खाद्यान्न उत्पादन

नई दिल्ली (विसं)। देश का खाद्यान्न उत्पादन चालू खरीफ सत्र में 35 लाख टन घटकर 13.5 करोड़ टन रहने का अनुमान है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ तथा कुछ अन्य इलाकों में बारिश कम रहने की वजह से खाद्यान्न उत्पादन में कमी आने का अंदेशा है।

मॉनसून बेहतर रहने से फसल वर्ष 2016-17 के खरीफ सत्र में देश का खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 13 करोड़ 85 लाख टन हुआ था। सूत्रों के अनुसार कुल खरीफ खाद्यान्न उत्पादन (चावल, दलहन और मोटे अनाज को मिलाकर) चालू सत्र में करीब 13.5 करोड़ टन रहने की संभावना है। खरीफ फसलों की बुआई का काम जुलाई के करीब शुरु होता है और कटाई अक्टूबर से शुरु होती है। इस गिरावट का मुख्य कारण कमजोर बरसात तथा दलहनों की नरम कीमतों के मद्देनजर धान और दलहन फसलों की खेती के रकबे में कमी आना है।

सूत्रों ने बताया कि चावल का उत्पादन पिछले खरीफ सत्र के नौ करोड़ 63 लाख टन के मुकाबले घटकर करीब 9.5 करोड़ टन रह जाने का अनुमान है। यही मामूली गिरावट दलहनों में रहने की आशंका है। हालांकि मोटे अनाजों का उत्पादन चालू खरीफ सत्र के दौरान सामान्य रहेगा।

4th Edition

एग्रीकल्चर एक्सपो इंडिया
AGREX India 2018

International Exhibition on Agriculture, Farm Machinery, Equipments and Agri Processing Technologies

23 24 25 February 2018
Pune, India

Concurrent Events :
hortiExpo 2018
13th International flora expo 2018

BOOK your stall now!

www.agrexindia.com

Organized by : Supported by* : Powered by:

Media today group
Mission for Integrated Development of Horticulture (Ministry of Agriculture & Farmers' Welfare)
National Horticulture Board
National Center for Cold-chain Development
National Mission on Micro Irrigation
National Committee on Plasticulture Applications in Horticulture
iFlora Indian Flowers & Ornamental Plants Welfare Association
Agri Tech India 2018 www.agritechindia.com

Official Publications: Media Partners: Online Media Partners:
AGRITECH INDIA FLORICULTURE TODAY TradeFairTimes BUSINESS SUCCESS AGRICULTURE PRODUCTS NEWS INDIAN PUMPS AND VALVES REVIEW tradeindia.com

*Proposed

For stall booking & other details please contact
MEDIA TODAY PVT. LTD
Exhibition Div. J-73, Paryavaran Complex, J-Block, Neb Sarai,IGNOU Road, New Delhi-110068, INDIA
Ph.:+91-11-65656553, 29535593, 65655264
E-mail: agrexindia@gmail.com
Web: www.agrexindia.com

सम्पादकीय

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खामियां

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेती-किसानी से जुड़ी अपनी सरकार की एक अहम योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आलोचना पर प्रतिक्रिया देकर अच्छा किया है। उन्होंने नीति आयोग से कहा है कि वह इसमें सुधार के तरीके सुझाए। इस योजना की शुरुआत अप्रैल 2016 में की गई थी और इसकी यह कहकर आलोचना की जा रही है कि इससे बीमा कंपनियों को फायदा हो रहा है, न कि किसानों को। आरोप है कि इन कंपनियों को भारी सब्सिडी के अलावा प्रीमियम में भी बड़ी हिस्सेदारी मिल रही है। दावों के रूप में किया गया भुगतान संग्रहीत प्रीमियम के एक चौथाई के आसपास ही है। अतीत में सेंटर फॉर साइंस ऐंड एन्वॉयरनमेंट (सीएसई) और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) दोनों ने इसकी खामियों की ओर इशारा किया था। जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार की काफी गुंजाइश है। इस बात की भी संभावना है कि अगर संशोधनों के साथ इसका उचित क्रियान्वयन किया जाए तो यह किसानों को अहम सुरक्षा मुहैया करा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह इकलौती ऐसी योजना है जो खेती की तमाम समस्याओं से सुरक्षा दिलाती है। इसमें बुआई की दिक्कतों से लेकर फसल कटाई के बाद तक के नुकसान शामिल हैं। अगर इस योजना का हश्र भी पहले की तमाम योजनाओं जैसा होता है तो बहुत दुखद होगा। पुरानी योजनाएं या तो बंद हो गईं या फिर उनसे कोई सकारात्मक परिणाम हासिल नहीं हुए। पहला सुधार तो इस योजना के ढांचे में ही करना होगा। भले ही इस योजना को प्रधानमंत्री की योजना का नाम दिया गया हो लेकिन हकीकत में इस योजना में राज्यों को क्रियान्वयन के दौरान व्यय का 50 फीसदी साझा करना पड़ता है। इतना ही नहीं राज्यों से यह भी कहा गया है कि वे नुकसान के आकलन के लिए फसल कटाई का प्रयोग करें। ऐसे में आश्चर्य नहीं है कि राज्यों ने भी इस योजना में कोई खास रुचि नहीं दिखाई है। कई राज्य सरकारों ने लागत में अपना हिस्सा चुकाने में देरी की है। वे फसल-कटाई के प्रयोग में भी किसी तरह का खर्च नहीं करना चाहते और फसल को होने वाले नुकसान का आंखो देखा आकलन प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अलावा आंकड़ों के त्वरित संग्रहण एवं वितरण के अलावा दावों के निपटान में तेजी के लिए ड्रोन और स्मार्ट फोन जैसी आधुनिक तकनीक का प्रयोग अपेक्षित गति से नहीं हुआ है। एक अन्य ध्यान देने लायक कमी यह है कि इसके क्रियान्वयन में बैंकों को भी साझेदार बनाया गया है। किसानों का बीमा कंपनियों से कोई खास सीधा संपर्क नहीं है। कई किसानों को तो उनके बीमा दस्तावेज या रसीद ही नहीं मिल सके हैं। हर्जाने में जो पैसा मिलना चाहिए उसे बैंक किसानों के कर्ज से समायोजित कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर बीमा कंपनियों की शिकायत है कि उनको किसानों के रकबे और फसल बुआई आदि के बारे में सही और विस्तृत जानकारी नहीं मिल पा रही। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के समक्ष कुछ स्वाभाविक समस्याएं भी हैं। उदाहरण के लिए कमजोर भू-रिकॉर्ड, भ्रष्टाचार और वास्तविक खेती के बारे में अस्पष्टता। ऐसे में छोटे और सीमांत किसानों को इस योजना का लाभ दिलाने का क्या तरीका हो सकता है क्योंकि उनको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है? नीति आयोग को इस योजना के तमाम अन्य पहलुओं का अध्ययन करते हुए शायद इसे एक केंद्रीय योजना में तब्दील करने पर भी विचार करना चाहिए। ऐसा करने से किसानों को उत्पादन संबंधी जोखिम से बचाने का इसका प्राथमिक लक्ष्य पूरा हो सकेगा।

कपास में जगी बारिश की आस

नई दिल्ली (विसं)। मध्य भारत के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्रों में बारिश के स्तर में सुधार की संभावना है। देश के मौसम विभाग के प्रमुख ने आज को रॉयटर्स को यह जानकारी दी। बढ़ती मांग के बीच कपास में भाग्य आजमाने वाले किसानों को इससे राहत मिलेगी। भारतीय मौसम विभाग की वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार 1 जून के बाद से देश की कुल वर्षा दीर्घावधि औसत से छह प्रतिशत कम है। मौसम विभाग ने कहा कि जून में मॉनसूनी बारिश से इस साल दीर्घावधि औसत के 98 प्रतिशत वर्षा की उम्मीद थी।

देश की सालाना बारिश की करीब दो-तिहाई पूर्ति इसी से होती है। जून से सितंबर तक चलने वाला यह मॉनसून भारत के 26 करोड़ किसानों के लिए बेहद महत्त्वपूर्ण होता है क्योंकि इनमें से करीब आधे किसानों की जमीन पर सिंचाई सुविधा का अभाव है। भारत की दो लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था में खेती का योगदान 15 प्रतिशत रहता है और इसके 1.3 अरब लोगों में से आधे से ज्यादा को कृषि से रोजगार मिलता है।

कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार ग्रीष्म काल के दौरान गत सप्ताह तक कृषि का कुल क्षेत्र काफी हद तक पिछले साल के समान लगभग 10.5 करोड़ हेक्टेयर रहा है। तिलहन और दलहन की रोपाई धीमी पड़ने से कपास की रोपाई में काफी जोर रहा है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कम सिंचाई वाले कपास उत्पादक क्षेत्रों में औसत से कम बारिश हुई है। इसने मांग में उछाल की वजह से कपास की अधिक खेती करने वाले किसानों के लिए डर पैदा कर दिया है। मौसम विभाग के प्रमुख केजे रमेश ने कहा कि इस स्थिति में परिवर्तन होना तय है। इसमें पहले ही सुधार के संकेत दिख चुके हैं।

महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बारिश में महत्त्वपूर्ण उछाल दिखेगी। हालांकि विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश के सूखाग्रस्त कपास उत्पादक क्षेत्रों में बारिश अब भी औसत से कम है, लेकिन इस सप्ताह बारिश की अल्पता में कमी आई है। कपास उत्पादन में शीर्षस्थ और दूसरे सबसे बड़े कपास निर्यातक भारत में कपास उत्पादन का सीधा संबंध मॉनसून से होता है क्योंकि कपास की खेती के तहत आने वाला 60 प्रतिशत से ज्यादा का हिस्सा बारिश के पानी पर निर्भर रहता है।

केंचुआ खाद का प्लांट (एक आर्थिक विश्लेषण)

संजय, पीएचडी, कृषि अर्थशास्त्र विभाग, कृषि कॉलेज , संजय कुमार, जिला विस्तार विशेषज्ञ, करनाल, स्वामी ए.. एम., पीएचडी, कृषि अर्थशास्त्र विभाग, कृषि कॉलेज, चौधरी चरण सिंह हरयाणा कृषि विश्वविद्यालय

साल दर साल उर्वरकों के अत्यधिक इस्तेमाल से बंजर होती जमीन, प्रदूषित होते जमीनी पानी के स्त्रोत, मनुष्य और जानवर की बिगड़ती सेहत, प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ता बोझ, घटती किसानों की आय, ये सभी संकेत हैं हमारे लिए कि हम अपनी खेती की पद्धति में बदलाव लायें, अन्यथा परिणाम और भी भयावह हो सकते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा अप्राकृतिक उर्वरकों की जगह लेने के लिए केंचुआ खाद का विकल्प बहुत लम्बे वक्त से मौजूद है। इस विकल्प की स्वीकार्यता दो वजहों से नहीं बढ़ पा रही है। एक, किसानों को अधूरी या जानकारी ही न होना, दूसरी इसका कुप्रचार जो की उन लोगों की वजह से होता है जो ऐसे प्रोजेक्ट अपना तो लेते हैं मगर अधूरी देखभाल एवं वैज्ञानिक तरीके से रख-रखाव नहीं करते और यही उनकी असफलता का कारण बनता है। सरकारों का दायित्व है की वह ऐसी पद्धतियों को प्रोत्साहित करने के लिए विस्तार, ट्रेनिंग एवं शोध में तत्पर भाव से काम करे।

कोई भी व्यवसाय तभी अपनाया जायेगा जब वह किसान की आय को बढ़ाए और केंचुआ खाद की बढ़ती खपत इसका व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन करने वालों के लिए आय वर्धक का काम बखूबी कर रही है। केंचुआ खाद बनाने की विधि के अलावा जरूरी है उसमें होने वाले खर्चे और इससे होने वाले मुनाफे की सही जानकारी। 1 एकड़ में 200 टन प्रति वर्ष केंचुआ खाद बनाने के फार्म में होने वाली आय और व्यय का विवरण सारिणी 1 और 2 में दिया गया है।

मार्केटिंग: इस व्यावसाय में आय बहुत हद निर्भर करती है की किसान अपना तैयार माल कहाँ बेचता है। उसे कोशिश यह करनी चाहिए की वह खाद सीधे पैकिंग कर आखरी उपभोक्ता तक पहुंचाए। इस खाद का इस्तेमाल फसली खेती में धीमी रफ्तार से बढ़ रहा है लेकिन शहरी इलाकों में घरों में बागवानी करने वालों एवं फलों के बागों में इस्तेमाल बहुत ज्यादा है तो सीधा इन उपभोक्ताओं को ही खाद बेचने में मुनाफा अधिक है। जहां तक हो सके किसान अपनी कंपनी बनाकर तैयार माल इन्टरनेट के माध्यम से अगर बेचता है तो यही केंचुआ खाद औसतन 100 से 300 रु. प्रति किलो तक बिकती है।

सारिणी 1: 200 टन प्रति वर्ष केंचुआ खाद के फार्म का आर्थिक मूल्यांकन

क्र.सं.	विवरण	मात्रा	मूल्य (रु.)	रकम (रु.)
स्थायी खर्चे				
1.	अस्थायी शेड	1 एकड़		72,000
2.	औजार एवं यन्त्र			80,000
3.	ऑफिस अथवा स्टोर	1		60,000
4.	पानी का स्त्रोत			60,000
5.	नाडेप टैंक	2		5,000
6.	जमीन का किराया	1 एकड़		20,000
7.	आवर्ती खर्चों पर ब्याज	4प्रश.		11,080
8.	जमीन पर टैक्स			1000
	कुल			3,01,080
आवर्ती खर्चे				
1.	कच्ची सामग्री (गोबर)	330 टन	500 प्रति टन	1,65,000
2.	लेबर	2	5000 प्रति महीना	1,20,000
3.	ट्रांसपोर्ट(कच्चा माल एवं तैयार खाद)	530 टन सामग्री		50,000
4.	पैकिंग लेबलिंग का सामान	4,000	10	40,000
	कुल			3,75,000

सारिणी 2: केंचुआ खाद के फार्म से व्यय एवं आय।

क्र.सं.	विवरण		
1.	कुल आय	1. उत्पादन (200 टन) × मूल्य (4000 प्रति टन)	8,00,000
		2. केंचुआ (250 रु. प्रति किलो × 1000 किलो)	2,50,000
		3. वर्मी वाश (पौध विकास वर्धक = 1 टन)	(स्थायी बाज़ार नहीं है)
2.	कुल खर्चे	आवर्ती (2,88,080) + स्थायी (3,75,000)	6,76,080
3.	शुद्ध आय	कुल आय- कुल खर्चे	3,86,920

नोट: यहाँ लिए गए मूल्य एवं खर्चे औसत हैं। दिए गए खर्चों एवं मूल्यों में जगह के हिसाब से बदलाव संभव है।

आर्थिक विश्लेषण: 330 टन कच्ची सामग्री इस्तेमाल करने पर लघाग उसका 60 प्रश. ही तैयार खाद के रूप में मिलता है। साल में 5 बार केंचुआ खाद बनाने पर पहले वर्ष न्यूनतम 3,73,920 शुद्ध आय प्राप्त होती है। आने वाले वर्षों में यह आय लगभग 6 लाख तक हो जाती है। वर्मी वाश जिसे पौध विकास वर्धक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है किसान या उसका इस्तेमाल कर या आगे बेचकर अतिरिक्त आय ले सकता है। इसके साथ ही वह और किसानों को ट्रेनिंग दे कर भी अपनी आय में इजाफा कर सकता है।

ऋण सुविधा: अगर कृषि संकाय से पढ़े छात्र इस व्यवसाय को अपनाते हैं तो उन्हें कृषि क्लिनिक एवं कृषि बिसनेस केंद्र योजना के तहत 20 लाख तक के प्रोजेक्ट पर सब्सिडी के साथ ऋण 11.5 प्रश. ब्याज और 5 से 7 साल के ऋण वापसी के समयके साथ मिलता है। ऐसी योजनाओं को बड़े स्तर पर बढ़ावा देना चाहिए क्यूंकि यह अभी भी एक ऐसा व्यापार है जिसे अपनाकर गाँव के अशिक्षित, कम भूमि वाले एवं भूमिहीन किसान एवं युवा अपना व्यापार स्थापित कर सकते हैं और यह बेरोजगारी तथा शहर की तरफ पलायन को रोकने, गाँव एवं शहर के बीच आर्थिक सम्बन्ध बढाने में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

खीरा की जैविक उन्नत खेती

जलवायु:खीरा विश्व की शीतोष्ण एवं उपशीतोष्ण क्षेत्रों में उगाया जाता है और यहाँ की एक लोकप्रिय सब्जी है खीरे की फसल अल्प कालीन होती है जो अपना जीवन चक्र 60-80 दिनों में पूरा कर लेती है यह पाला सहन नहीं कर सकता है और विशेष ठंडक में विकास अवरुद्ध हो जाता है और अधिक वर्षा , आद्रता और बादल सहने से कीट एवं रोगों के प्रसारण में वृद्धि हो जाती है खीरा प्रकाश एवं तापमान के घटाव -चढ़ाव से अत्यंत प्रभावित होता है प्रकाश और तापमान की अधिकता और लम्बे प्रकाश काल में नर फूल अधिक आते है और मादा फूलों की संख्या काफी कम हो जाती है जिसका उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है खीरे में वर्षाकालीन फसल में फलन अधिक होता है।

भूमि: खीरे को सभी प्रकार की मृदाओं में उगाया जा सकता है फिर भी दोमट और रेतीली दोमट इसके लिए विशेष उपयुक्त होती है मिटटी में जैविक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होना चाहिए और जल निकास का उचित प्रबंध होना चाहिए इसे साधारण अम्लीय से साधारण क्षारीय मृदाओं में भी उगाया जा सकता है और अत्यधिक अम्लीय एवं क्षारीय मिटटी में पौधे ठीक से नहीं पनपते है खेत में पहली जुताई मिटटी पलटने वाले हल से करनी चाहिए प्रत्येक जुताई के बाद पाटा लगाकर मिटटी को भुरभुरा एवं समतल करना चाहिए।

प्रजातियाँ:

उनत किस्मे: विदेशों में प्रविष्टित किस्में हमारे देश में उगाने के लिए अनुशंसित की गई है उनके चारित्रिक गुणों का उल्लेख नीचे किया गया है।

जापानी लौंग ग्रीन: यह एक अगेती किस्म है जो 45 दिन में तैयार हो जाती है इसके फल 30-40 से.मी. लम्बे और हरे रंग के होते है गुदा हल्का हरा और कुरकुरा होता है।

चयन: यह अधिक उपज देने वाली और मध्यम पछेती कठोर किस्म है इसके फल 50 से.मी. लम्बे , सीधे और बेलनाकार होते है छिलका हरे रंग का होता है जिस पर सफ़ेद कांटे होते है गुदा सफ़ेद एवं कुरकुरा होता है।

स्ट्रेट एट: यह एक अगेती किस्म है फल साधारण लम्बे मोटे , सीधे और बेलनाकार होते है छिलका हरे रंग का होता है।

पोइनसट: यह किस्म साधारण लम्बी, सीधी एवं गहरे हरे रंग की होती है यह किस्म मृदुरोमिल रोग की प्रतिरोधी है।

भारतीय किस्मे:

खीरा , पंजाब सेलेक्शन , पूना खीरा ,

संकर किस्मे: इसे जापानी किस्म कागा ओमेगा पुशिनावी और इटावली किस्म ग्रीन्लेंड आफ नेपल्स के संकरण से निकाला गया है फल 22-30 से.मी. लम्बे और बेलनाकार हरे गहरे रंग के जिन पर पीले कांटे होते है गुदा कुरकुरा होता है यह अधिक उपज देने वाली किस्म है।

प्रिया:इस किस्म का विकास इंडो-अमेरिका हाईब्रिड सीड कंपनी बंगलौर द्वारा किया गया है यह एक अधिक उपज देने वाली किस्म है।

नवीनतम किस्मे:

पी.सी.यू.एच. 1:

पूसा उदय: इस किस्म का विकास कृषि अनुसन्धान संस्थान नई दिल्ली द्वारा किया गया है फल हलके हरे व चिकने होते है इस किस्म को बसंत-ग्रीष्म और वर्षा ऋतु दोनों में उगाया जा सकता है पोइन सेट नामक किस्म से 36 प्रश. अधिक उपज देती है यह प्रति हे.10.5-11.0 टन उपज दे देती है।

स्वर्ण पूर्णा: इस किस्म का विकास केन्द्रीय बागवानी परीक्षण केंद्र रांची द्वारा किया गया है मध्यम आकार युक्त ठोस फल, चूर्णी फफूंदी के लिए सहन शील यह प्रति हे. 300-350 क्विंटल उपज दे देती है ।

स्वर्ण शीतल: इस किस्म का विकास केन्द्रीय बागवानी परीक्षण केंद्र रांची द्वारा किया गया है मध्यम आकार युक्त ठोस फल चूर्णी फफूंदी एन्थ्रेक्नोज रोगों के प्रति रोधी यह प्रति हे. 250-300 क्विंटल मिल जाती है।

बीज बुवाई : खीरे की खेती योग्य किस्में मोटे तौर पर दो भागों में विभक्त की जाती है यथा ग्रीष्मकालीन और बरसाती किस्मे ग्रीष्मकालीन किस्मों के पौधे फैलने वाले होते है और घर्किन कहलाते है बरसाती किस्मों के फल बड़े होते है और वे किस्मे पूरे भारत में उगाई जाती है मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुवाई जनवरी-मार्च तक की जाती है बरसाती फसल के लिए जून-जुलाई उपयुक्त है पाला रहित क्षेत्रों में खीरे की बुवाई अक्टूम्बर में की जाती है जिसके कारण मार्च में अगेती फसल प्राप्त हो जाती है। खीरे में बीज दर गहराई और पौधों की दुरी नीचे दी गई है -

बीज दर - 2.5- 3.7 किलो ग्राम
पंक्ति से पंक्ति की दूरी: 150 से.मी.
पौध से पौध की दूरी: 60-90 से. मी.
बीज की गहराई: 1.0 से.मी.

बरसात के दिनों में खीरे को उचे थाले में लगाते है प्रत्येक थाले में 3-4 बीज बोते हैं बाद में एक-दो पौध को ही रहने देते है।

आर्गनिक खाद: खीरे की भरपूर उपज और अच्छा उत्पादन लेने के लिए उसमे आर्गनिक खाद , कम्पोस्ट खाद का होना नितांत आवश्यक है इसके लिए एक हे. भूमि में 40-50 क्विंटल गोबर की अच्छे तरीके से सड़ी हुई खाद और आर्गनिक खाद 2 बैग भू-पावर वजन 50 किलो ग्राम, 2 बैग माइक्रो फर्टी सिटी कम्पोस्ट वजन 40 किलो ग्राम, 2 बैग माइक्रो नीम वजन 20 किलो ग्राम , 2 बैग सुपर गोल्ड कैल्सी फर्ट वजन 10 किलो ग्राम, 2 बैग माइक्रो भू-पावर वजन 10 किलो ग्राम और 50 किलो अरंडी की खली इन सब खादों को अच्छी तरह मिलाकर खेत में समान मात्रा में बिखेर कर जुताई कर खेत तैयार करे बुवाई या रोपाई करे। जब फसल 20 - 25 दिन की हो जाये तो माइक्रो झाइम 5 00 मी. लीटर और 2 किलो सुपर गोल्ड मैग्नीशियम 400-500 लीटर पानी में मिलाकर तर बतर कर छिड़काव करते है इस तरह यह क्रिया लगातार 20-25 दिन बाद दुहराते रहते है।

सिचाई: खीरे की गर्मियों में 2-3 दिन के अंतर पर सिचाई करनी चाहिए।

खरपतवार नियंत्रण: लता की वृद्धि की प्रारंभिक अवस्था निराई-गुड़ाई करने से पौधों का अच्छा विकास होता है और फलन भी अधिक होता है लता की पूर्व वृद्धि हो जाने पर बड़े-बड़े खरपतवारों को हाथ से उखाड़ देना चाहिए।

कीट नियंत्रण :

एफिड : ये अत्यंत छोटे-छोटे हरे रंग के कीट होते है जो पौधों के कोमल भागों में रस चूसते है इन कीटों की संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि होती है यह विषाणु फैलने का काम भी करते है पत्तियां पीली पड़ जाती है और इनके ओज पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है।

रोकथाम: इनकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा या गौमूत्र को माइक्रो झाइम के साथ मिलाकर अच्छी तरह से मिश्रण तैयार कर 250 मि.ली.को प्रति पम्प द्वारा फसल में तर-बतर कर छिड़काव करें।

फल की मक्खी: डेकस वंश की कुछ मक्खियाँ अनेक बेल वर्गीय सब्जियों को उनकी बिभिन्न अवस्थाओं में क्षति पहुंचाती है फल की मक्खी का आकार घरेलु मक्खी की तरह होता है यह फलों में छिद्र करके अंडे देती है जो फल के अन्दर ही फूटते है और उनसे निकले मैगट फल के अन्दर ही वृद्धि करते रहते है यह फल के गुदे से अपना भोजन प्राप्त करते है कीट ग्रस्त फल विकृत हो जाते है या सड़ जाते है।

रोकथाम: इनकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा या गौमूत्र को माइक्रो झाइम के साथ मिलाकर अच्छी तरह से मिश्रण तैयार कर 250 मि.ली.को प्रति पम्प द्वारा फसल में तर-बतर कर छिडकाव करें।

रेड पम्पकिन बीटिल। यह लाल रंग का 5-8 से. मी. लम्बा कीट है जो बेल वर्गीय सभी सब्जियों को क्षति पहुंचाता है फसलों के अंकुरण के तुरंत बाद क्षति पहुंचाता है यह पत्तियों के बिच का भाग खाता है।

रोकथाम: इनकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा या गौमूत्र को माइक्रो झाइम के साथ मिलाकर अच्छी तरह से मिश्रण तैयार कर 250 मि.ली.को प्रति पम्प द्वारा फसल में तर-बतर कर छिड़काव करें।

एपिलैकना बीटिल: इसके शिशु एवं प्रौढ़ दोनों ही बेल वर्गीय सब्जियों पर आक्रमण करते है इनका आक्रमण पत्तियों पर होता है और शिशु पत्तियों के बिच के हर भाग को खा जाते है और इसे फीते के रूप में बना देते है।

रोकथाम: इनकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा या गौमूत्र को माइक्रो झाइम के साथ मिलाकर अच्छी तरह से मिश्रण तैयार कर 250 मि.ली.को प्रति पम्प द्वारा फसल में तर-बतर कर छिडकाव करें।

रोग नियंत्रण:

विषाणु रोग: खीरे पर मोजैक विषाणु का आक्रमण मुख्य रूप से होता है रोग के प्रभाव से पत्तियों पर पीले धब्बे पड़ जाते है और पत्तियां सिकुड़ जाती है अंत में पत्तियां पीली होकर सुख जाती है फलों पर हलकी कर्बुरण से लेकर मस्सेदार वृद्धि तक दिखाई पड़ती है फल आकार में छोटे टेढ़े-मेढ़े , प्राय सफ़ेद और कम संख्या में बनते है यह रोग मुख्य रूप से एफिड व सफ़ेद मक्खियों द्वारा फैलता है।

रोकथाम: इनकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा या गौमूत्र को माइक्रो झाइम के साथ मिलाकर अच्छी तरह से मिश्रण तैयार कर 250 मि.ली.को प्रति पम्प द्वारा फसल में तर-बतर कर छिडकाव करें।

मृदुरोमिल रोग: यह रोग स्यूडोपरोनोस्पोरा क्यूबेन्सिस नामक फफूंदी के कारण होता है यह रोग अत्यधिक गर्मी, वर्षा व नमी वाले क्षेत्रों में होता है रोग ग्रस्त पौधों की पत्तियों के उपरी भाग पर पीले धब्बे और निचले भाग पर बैंगनी रंग कर धब्बे दिखाई पड़ते है उग्र रूप में तना और संजनी पर भी आक्रमण होता है पत्तियां सुखकर गिर जाती है।

रोकथाम: इनकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा या गौमूत्र को माइक्रो झाइम के साथ मिलाकर अच्छी तरह से मिश्रण तैयार कर 250 मि.ली.को प्रति पम्प द्वारा फसल में तर-बतर कर छिडकाव करें।

एन्थ्रेक्नोज: यह रोग कोलेटोट्राईकम जाति की फफुन्दियों द्वारा होता है गर्म और नए मौसम में रोग का प्रकोप अधिक होता है इस रोग में फलों और पत्तों पर धब्बे पड़ जाते है खीरे में लाल भूरे सूखे धब्बे बनते है जिसके कारण पत्तियां झुलसी हुई प्रतीत होती है।

रोकथाम: इनकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा या गौमूत्र को माइक्रो झाइम के साथ मिलाकर अच्छी तरह से मिश्रण तैयार कर 250 मि.ली.को प्रति पम्प द्वारा फसल में तर-बतर कर छिडकाव करें।

चूर्णिल असिता: यह रोग ऐरीसाइफी सिकोरेसिएरम नामक फफूंदी के कारण होता है इसका आक्रमण मुख्य रूप से खीरा, लौकी , तरबूज, ककड़ी पर होता है इस रोग में पुरानी पत्तियों की निचली सतह पर सफेद धब्बे उभार आते है धीरे-धीरे इन धब्बो की संख्या और आकार में वृद्धि हो जाती है बाद में पत्तियों के दोनों ओर सफेद पावडर जैसी तह जम जाती है पत्तियों के अलावा तना, फुल व फल पर भी आक्रमण होता है। पत्तियों की सामान्य वृद्धि रुक जाती है और पीली पड़ जाती है यह रोग सूखे मौसम में अधिक होता है।

रोकथाम: इनकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा या गौमूत्र को माइक्रो झाइम के साथ मिलाकर अच्छी तरह से मिश्रण तैयार कर 250 मि.ली.को प्रति पम्प द्वारा फसल में तर-बतर कर छिडकाव करें।

तुड़ाई: फसल बुवाई के दो माह बाद तैयार हो जाती है फसल तैयार हो जाने पर 2-3 दिन के अंतर पर 2 माह की अवधि तक तोड़े जा सकते है।

उपज: खीरे की प्रति हे. उपज 80-100 क्विंटल तक हो जाती है।

अब जीएम गन्ने पर बहस, वैज्ञानिकों का दावा कम पानी में होगी फसल

मुंबई (कासं)। विश्व के सबसे ज्यादा गन्ना और चीनी उत्पादन करने वाले देश ब्राजील ने जेनिटिकली मोडिफाईड गन्ने की प्रजाति की खेती को अपनी मंजूरी दी है, जिसके बाद से भारत में भी जीएम गन्ने की खेती की बहस एक बार तेज हो गई है। पानी की कमी के कारण देश के बड़े गन्ना उत्पादक राज्य महाराष्ट्र और कर्नाटक में जहां गन्ने की खेती से किसान मुंह मोड़ रहे हैं वहीं देश में गन्ना की खेती का रकबा लगातार घट रहा है। ऐसे में देश में गन्ने की ऐसी किस्म की मांग हो रही है जिसकी खेती में कम पानी की जरूरत पड़े। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत आने वाले गन्ना प्रजनन संस्थान कोयंबटूर के निदेशक डॉ बख्शी राम ने बताया भारतीय गन्ने की खेती के परिवेश को देखते हुए हमने अपनी गन्ने की प्रजाति जेनेटिकली मोडिफाइड किया है, लेकिन इस फिल्ड ट्रायल हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि भारत सरकार के बायोटेक्नोलाजी डिपार्टमेंट ने हमे मंजूरी नहीं मिली है। भारत में साल 2003 में बीटी काटन की व्यवसायिक खेती को मंजूरी मिली मिली थी उसके बाद जीएम सरसों की खेती को लेकर सालों से बवाल मचा हुआ।

देश में जीएम फसलों की खेती के लिए भारत सरकार के वन एंव पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी (जीईएसी) से मंजूरी लेना पड़ता है। भारतीय गन्ना अनुसंधान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. राजेश कुमार ने बताया इंडोनेशिया के बाद ब्राजील ने इस साल जीएम गन्ने की खेती को अपनी मंजूरी दी है। माना जा रहा है कि जीएम गन्ने की प्रजातियों में कम पानी लगता है और बीमारियां भी कम होती है लेकिन भारत में इसका परीक्षण होना अभी बाकी है। जीएम गन्ने की सफलता और असफलता को लेकर अभी ऑतिम निष्कर्ष नहीं आया है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की एक रिपोर्ट के मुताबिक गन्ने की एक टन फसल को तैयार करने में 250 टन पानी लगता है। 12 से लेकर 18 महीनों में तैयार होने वाली गन्ने की फसल में 180 से लेकर 120 सेंटीमीटर पानी की जरुरत पड़ती है। जो देश में सालभर होने वाली औसत बारिश 120 सेंटीमीटर से काफी अधिक है। ऐसे में पिछले कुछ सालों देश के अलग-अलग जगहों पर हो रही कम बारिश से गन्ने की फसल पर असर पड़ और गन्ने की बुवाई का क्षेत्रफल घट रहा है। देश के 18 राज्यों में गन्ने की खेती प्रमुख रूप से होती थी लेकिन गन्ने की खेती पिछले तीन साल साल से लगातार कम हो रही है। गन्ने की खेती का क्षेत्रफल घटने से भारतीय चीनी मिलों के सामने कच्चे माल यानि गन्ने की कमी का खतरा मंडरा रहा है।

यूपी और मध्य प्रदेश की ई-नाम सुविधा देश में सबसे अच्छी : कृषि मंत्री

लखनऊ (विसं)। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की मंडियों में शुरू हुई ई-नाम सुविधा को सराहा है। कृषि मंत्री ने दोनो राज्यों में ई-नाम के सफल संचालन को मंडियों के लिए अहम बताया है। अप्रैल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर की मंडियों में ई-नाम सुविधा की शुरुआत की, जिसके बाद देशभर के राज्यों में स्थापित बड़ी मंडियों में ई-नाम लैब बनवाने का फैसला किया गया। यह सुविधा आठ राज्यों में लागू हो चुकी है, सरकार ने मार्च 2018 तक इस सुविधा को देश की 585 मंडियों तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। मौजूदा समय में यह सुविधा देशभर की 455 मंडियों में उपलब्ध है। मंडियों में ई-नाम सुविधा का सबसे अच्छा संचालन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में हुआ है। उत्तर प्रदेश में 100 ई-नाम मंडियां हैं, वहीं मध्य प्रदेश में 57 ई-नाम मंडियां बनाई जा चुकी हैं। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की मंडियों में शुरू हुई ई-नाम सुविधा को सराहा। ई-नाम सुविधा में मंडी परिषद ने अभी तक प्रदेश की 100 मंडियों में आने वाले कृषि उत्पादों की ग्रेडिंग कर किसानों को उनकी फसल का तुरंत लाभ दिलवाया है। आने वाले समय में हम अधिक से अधिक कृषि उत्पादों को इस सुविधा के अंतर्गत लाने की कोशिश करेंगे।

क्या है ई-नाम सुविधा

ई-नाम सुविधा में किसानों की आवक को जांच कर उसका लॉट नंबर जारी कर दिया जाता है यह लॉट नंबर मंडी में लगी डिजीटल स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाता है। इससे मंडी में मौजूद व्यापारी और खरीददार किसानों का माल खरीदते हैं। किसानों को आवक का मूल्य उसके ग्रेड (ए,बी या सी ग्रेडिंग) के आधार पर तय होता है, यानी की जितना अच्छा ग्रेट उतनी अच्छी बोली।

किसानों को धीमी मौत मार रहे कीटनाशक

मुंबई (कासं)। महाराष्ट्र के यवतमाल में फसलों पर कीटनाशकों का छिड़काव करते समय कीटनाशकों के जहरीले प्रभाव की चपेट में आने से 9 किसानों की मौत हो गई। यह देश का पहला मामला नहीं है बल्कि हर साल कीटनाशकों के छिड़काव संबधी सुरक्षा किट्स और जागरूकता के अभाव में हजारों किसानों की जान जा रही है लेकिन इसके बाद भी कृषि विभाग और संबंधित सरकारी विभागों की तरफ से किसानों के लिए जानलेवा बन रहे कीटनाशकों से बचाव के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किया जा रहे हैं। राज्यसभा में इस संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कृषि राज्यमंत्री ने संसद को बताया था कि पिछले तीन सालों में खेत में कीटनाशकों को छिड़काव करते समय 5114 किसानों की मौत हुई है। कीटनाशकों को छिड़काव करते समय किसानों को क्या सुरक्षा उपाय करना चाहिए। ऐसे में जागरूकता के अभाव में हर साल किसान कीटनाशकों के प्रभाव से मर रहे हैं। कीटनाशकों के आयात, उत्पादन, परिवहन, बिक्री, बंटवारे व इस्तेमाल को काबू करने और गड़बड़ियों पर नकेल कसने के लिए देश में कीटनाशक अधिनियम साल 1968 में बनाया गया था। इस के तहत गड़बड़ी साबित होने पर लाइसेंस रद्द करने के साथ-साथ 2 साल कैद और जुर्माने का भी नियम है, लेकिन ज्यादातर किसान शिकायत नहीं करते और अगर करते भी हैं, तो मामले अपील में छूट जाते हैं। साल 2000 में इस कानून में सुधार व बदलाव हुए, लेकिन किसानों को इस से कोई खास राहत नहीं मिली। फसलों को विभिन्न बीमारियों और कीटों से बचाने के लिए किसान बिना जरूरी सुरक्षा उपाय किए खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं और इसकी चपेट में आने से मरते हैं। किसानों को कीटनाशकों को छिड़काव करते समय जो सुरक्षा उपाय और किट्स चाहिए होती है उसके बारे में अधिकतर किसानों को जानकारी ही नहीं होती है।

सात राज्य ही उगा सकेंगे बासमती धान का बीज

मेरठ (विसं)। बासमती धान का बीज उगाने को लेकर राज्यों के बीच होने वाली प्रतिस्पर्धा अब खत्म हो जाएगी। भारत सरकार द्वारा 18 सितंबर को जारी अधिसूचना में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को ही बासमती धान के बीज को उगाने की अनुमति दी गई है। केन्द्र सरकार ने इन राज्यों को भौगोलिक उपदर्शन यानि जीआई क्षेत्र में शामिल किया है, उनमें पश्चिम के भी 30 जिले शामिल हैं। सरकार के इस फैसले को किसानो के लिए अहम मानते हुए डॉ.रितेश शर्मा, प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रभारी बासमती निर्यात प्रतिष्ठान बताते हैं, जीआई होने से अब सात राज्य ही बासमती धान की खेती बड़े स्तर पर कर सकेंगे।

जीएसटी से मिलों का आटा गीला

मुंबई (कासं)। देशभर में पंजीकृत कुल आटा मिलों में से करीब 1,400 इकाइयों यानी तीन-चौथाई पर बंद होने की तलवार लटक रही है। इसकी वजह यह है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में सभी ब्रांडेड उत्पादों को लाया गया है। इससे पहले जीएसटी परिषद ने घोषणा की थी कि खुले आटे और पंजीकृत लेकिन बिना ट्रेडमार्क के ब्रांडेड आटा पैकेटों पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके चलते बहुत से पंजीकृत ट्रेडमार्क ब्रांड कर के दायरे से बाहर आने के लिए अपने लाइसेंस वापस करने लगे थे। इन मिलों ने अपने ब्रांड को न तो स्थानीय या राष्ट्रीय प्राधिकरणों के पास पंजीकृत कराया है और न ही अपने ब्रांड की पहचान के लिए कोई ट्रेडमार्क लिया है। लेकिन वे फिर भी अपना उत्पाद एक ऐसे ब्रांड के तहत बेच रही हैं, जिसे वे स्थानीय ब्रांड बता रही हैं। कर भुगतान से बचने के लिए आटा मिलों द्वारा अपने लाइसेंसी ब्रांडों की वापसी पर रोक लगाने के लिए जीएसटी परिषद ने स्पष्ट किया, 5 मई 2017 को पंजीकृत ब्रांडों पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा, भले ही वे बाद में गैर-पंजीकृत हो जाएं। जीएसटी परिषद ने आगे साफ किया कि कॉपीराइट ऐक्ट के तहत पंजीकृत ब्रांडों पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। नॉर्थ कर्नाटक रोलर फ्लोर मिल्स के प्रबंध निदेशक डी मानिकचंद गडिया ने कहा, सितंबर का स्पष्टीकरण सभी ब्रांडों को 5 फीसदी जीएसटी के तहत लाता है और यह 1 जुलाई यानी जीएसटी लागू होने की तिथि से प्रभावी होगा। आटा मिलें पहले ही शून्य शुल्क पर अपना उत्पाद बेच चुकी हैं, इसलिए उनके द्वारा ग्राहकों को पहले ही बेचे जा चुके उत्पाद पर जीएसटी संग्रहित करना मुश्किल है। अगर वे ऐसा नहीं करती हैं तो उन्हें अपनी जेब से जीएसटी का भुगतान करना होगा। इससे कम से कम आटा मिलों को अपना परिचालन बंद करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। देशभर में करीब 1,400 आटा मिलें प्राइवेट लेबल से गेहूं को पीसकर खुला आटा बेच रही हैं। भारतीय खाद्य संरक्षा मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने पैकेट पर सामग्री का ब्योरा और विनिर्माता एवं वितरक का पता छापना अनिवार्य कर दिया है। इसलिए इस विवरण छपाई को कार्रवाई लायक दावा माना जाता है। इसका मतलब है कि अगर पैकेटबंद आटे की गुणवत्ता खराब होने से स्वास्थ्य को कोई नुकसान होता है तो ग्राहक इस नुकसान की भरपाई के लिए विनिर्माता और वितरक से संपर्क कर सकते हैं। रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की सचिव वीणा शर्मा ने कहा, हमें इसका सुनिश्चित पता नहीं है कि जीएसटी की दर बीती तारीख यानी 1 जुलाई से लागू की गई है। अगर जीएसटी को 1 जुलाई से प्रभावी बनाया गया तो मिलों के लिए अपना वजूद बचाना बहुत मुश्किल होगा। उद्योग ब्रांडेड और अनब्रांडेड उत्पादों की स्पष्ट परिभाषा चाहता है।

ब्रांडेड कॉटन की शुरुआत करेगी सरकार

मुंबई (कासं)। अमेरिका और मिस्र के ब्रांडेड कॉटन की सफलता के बाद सरकार देश में ही उत्पादित कॉटन की ब्रांडिंग करने पर विचार कर रही है ताकि विदेशी आयातकों से अच्छी कीमत मिल सके। कपड़ा आयुक्त कविता गुप्ता ने उद्योग के विभिन्न हिस्सेदारों के साथ कई दौर की बैठकें की हैं जिनमें व्यापारी, कपड़ा मिलें, परिधान विनिर्माता शामिल हैं ताकि कॉटन से संबद्ध टेक्नोलॉजी मिशन (टीएमसी) को संशोधित करने के लिए दिशा निर्देश दिए जा सकें। संशोधित टीएमसी निर्यातकों को भारतीय कॉटन की गुणवत्ता में सुधार करने की इजाजत देगा जिनमें कम मिलावट हो और जो मिस्र और अमेरिका के उपलब्ध कॉटन के लगभग बराबर हो। इसके अलावा टीएमसी वाणिज्यिक उद्देश्य से कॉटन में अनुबंध खेती को शामिल कर सके। वर्ष 2000 में शुरू किया गया टीएमसी कॉटन की पैदावार और गुणवत्ता में सुधार को लेकर लक्षित था जिसके लिए अच्छे बीज, जल, खाद और कीट प्रबंधन तकनीक का इस्तेमाल किया जाना था। हालांकि कॉटन से जुड़े मौजूदा तकनीकी अभियान में अनुबंध खेती को सक्षम बनाने का प्रावधान शामिल नहीं था और विशेषज्ञों का मानना है कि निर्यात बाजार में बेहतर प्राप्तियों के लिए ब्रांडिंग की जरूरत होती है। कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (टेक्सप्रोसिल) के अध्यक्ष उज्ज्वल लाहोटी का कहना है, मिस्र और अमेरिका का कॉटन आयात बाजार के उन देशों के परंपरागत रेशे के मुकाबले बेहतर है जिनमें भारत भी शामिल है। हमारे कॉटन की बेहतर गुणवत्ता और ज्यादा कीमत पाने की अच्छी संभावना के बावजूद, ब्रांडिंग पहल कम होने की वजह से भारतीय किसानों और व्यापारियों की आमदनी कम हुई है। इसी वजह से सरकार टीएमसी को नए सिरे से शुरू करने की प्रक्रिया में है ताकि कॉटन की ब्रांडिंग कर सके और प्राकृतिक रेशे की अनुबंध खेती हो। कई दौर की बैठकें कपड़ा मंत्रालय के साथ हुई हैं और फिलहाल भारतीय कॉटन ब्रांड के लिए दिशानिर्देश दिए जाने की प्रक्रिया जारी है। हम जल्द ही भारतीय कॉटन को भी मिस्र और अमेरिका के कॉटन की तर्ज पर देखेंगे। उनका कहना है, कई कंपनियां कॉटन अनुबंध खेती में दिलचस्पी लेती हैं। लेकिन वे नियमन के लिए इंतजार कर रही हैं। संशोधित टीएमसी से कॉटन अनुबंध खेती में बड़ी कंपनियों द्वारा निवेश किए जाने की इजाजत मिलने की उम्मीद है जिसके दो लाभ होंगे मसलन कच्चे माल की निश्चित आपूर्ति और किसानों के लिए तयशुदा आमदनी। वर्धमान टेक्सटाइल्स ने अनुबंध खेती की शुरुआत की है और यह राजस्थान के कुछ हिस्से में घरेलू खपत के लिए कपास उगा रही है। अनुबंध खेती के तहत बीज और उर्वरक की आपूर्ति सामान्य तौर पर संबंधित कंपनियां करती हैं।

धान में गंदीबग और झुलसा रोग का प्रकोप

सकरावा (कन्नौज) (विसं)। जिले में किसान पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहे थे, वहीं अब फसल में रोग लगने से किसान परेशान हैं। वैज्ञानिकों की टीम जिले में गाँव-गाँव जाकर किसानों को इससे बचने के उपाय भी बता रही हैं। धान की बाली का दाना काला हो रहा है। गर्मी ज्यादा पड़ रही है, इसलिए दवा डालने में भी दिक्कत है। हर बार धान में यह रोग लग जाता है। फसलों में कीट नियंत्रण और मित्र कीटों को बचाने पर काम कर रही संस्था केंद्रीय एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन केंद्र, लखनऊ से मिली जानकारी के अनुसार लंबे समय तक बारिश न होने के कारण धान की फसल में नमी की मात्रा कम पड़ जाती है। नमी कम रहने से धान में दीमक, पत्ती लपेटक, वाइट बग और ग्रीन हॉपर जैसे कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है। सौरिख विकास खंड क्षेत्र के लालपुर निवासी मुकेश बताते हैं, धान की बाली सफेद हो रही है।

सहफसली खेती से किसान कमा सकते हैं ज्यादा लाभ

लखनऊ (विसं)। अक्टूबर से शुरू हो रहे रबी मौसम में किसान मुख्य फसल के साथ ही सहफसली की खेती करके अधिक लाभ कमाएं इसके लिए कृषि विभाग ने किसानों को सहफसली खेती करने को लेकर जागरूक कर कर रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के निदेशक सीराज सिंह खोखर ने बताया रबी के मौसम में मुख्य फसलों के साथ सहफसलों को लेने से किसानों को उनकी भूमि में न केवल कुल उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलती है बल्कि कृषि निवेश के लागत में कमी आती है।

जिंस गोदाम की ई-रसीद होगी शुरू

मुंबई (कासं)। गोदामों की नेगोशिएबल रिसीट के व्यापार का एक दशक पुराना विचार अगले हफ्ते हकीकत बन जाएगा। गोदामों के सामान के संचालन का लेखा-जोखा रखने वाली देश की दो एजेंसियां इसके लिए परिचालन शुरू कर रही हैं। वेयरहाउस डेवलेपमेंट ऐंड रेग्युलेटरी अथॉरिटी (डब्ल्यूडीआरए) ने दो भंडार गृहों को लाइसेंस जारी किया है जो विनियमित गोदामों में रखे गए सामान और उनके संचालन का हिसाब रखेंगे। इसमें गोदामों की रसीदें भी शामिल हैं जिनका उसी तरह से ट्रांसफर किया जाता है जैसा शेयरों का किया जाता है और डिपोजिटरी द्वारा उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। इन दो भंडार गृहों में से एक कृषि जिंसों पर केंद्रित एक्सचेंज नैशनल कमोडिटी ऐंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज (एनसीडीईएक्स) द्वारा स्थापित है और दूसरा बीएसई द्वारा समर्थित डिपोजिटरी सीडीएसएल। हालांकि यह एक सॉफ्ट लॉन्चिंग होगी लेकिन एक बार प्रचलित हो जाने के बाद यह फसल कटाई के उपरांत कृषि उपज का बेहतरीन वित्त पोषण उपकरण होगा। अब तक वस्तुओं का वित्त पोषण गोदामों की कागज पर आधारित रसीदों के आधार पर किया जाता रहा है, जो पूरी तरह से दोष मुक्त और धोखा-धड़ी से सुरक्षित नहीं होता। लेकिन ई-रसीदों को नेगोशिएबल उपकरण की तरह ट्रांसफर किया जा सकता है। इससे इंश्योरेंस से मुक्त और जिंसों के तेज व्यापार के प्रचुर अवसरों के द्वार खुलता है। इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि कृषि जिंसों में आवागमन के दौरान हानि की संभावना गैर-कृषि जिंसों की तुलना में बहुत ज्यादा रहती है। इसके लिए भी इस ई-रसीद प्रणाली में बेहतर अवसर उपलब्ध रहता है। हालांकि शुरू में यह कदम अच्छी शुरुआत तो रहेगा लेकिन इसका विस्तार करने में समय लगेगा क्योंकि गोदाम विनियामक विनियमित गोदामों की निगरानी और आचरण प्रणाली सुनिश्चित करेगा।

महाराष्ट्र : जन्म के 6 मिनट के भीतर बच्ची को मिल गया आधार नंबर

उस्मानाबाद (महाराष्ट्र)। जन्म के महज छह मिनट बाद ही भावना संतोष जाधव को अपना आधार नंबर मिल गया। 12 बजकर तीन मिनट पर उसका जन्म हुआ और 12 बजकर नौ मिनट पर उसे आधार से लिंक कर दिया गया। उसके पिता ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। उसका जन्म उस्मानाबाद के सिविल अस्पताल में हुआ था। अभिभावकों को चंद मिनटों बाद ही ऑनलाइन उसका जन्म प्रमाण पत्र व आधार नंबर मिल गया। जिलाधिकारी राधाकृष्णा का कहना है कि उस्मानाबाद के लिए यह गौरव का क्षण है। उनका कहना है कि सभी बच्चों को जल्द आधार में पंजीकृत किया जाएगा। उसके बाद माता-पिता के आधार से उनका लिंक जोड़ा जाएगा। उनका कहना है कि पिछले एक साल के दौरान 13 सौ बच्चों ने यहां के अस्पताल में जन्म लिया था। सभी को आधार से जोड़ा जा चुका है।

गन्ने की खेती को नई पहचान दिलाएगा 'रैलिस समृद्धि कृषि अभियान'

मुंबई (कासं)। महाराष्ट्र में गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए टाटा कंपनी की उपक्रम रैलिस इंडिया ने रैलिस समृद्धि कृषि अभियान शुरू किया है। इस अभियान के अंतर्गत राज्य में गन्ना किसानों को गन्ने की बुवाई व इसके व्यापार के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। इस अभियान के बारे में रैलिस इंडिया के सीईओ वी शंकर बताते हैं, रैलिस इंडिया भारतीय किसानो के साथ बीते 165 वर्षों से काम कर रही है। हम किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों से जोड़ सकें ताकि उन्हें समाज में उन्हें बड़ा नाम मिल सके। किसानों की बेहतरी के लिए हमने दृष्टि समाधान और संपर्क मोबाइल ऐप भी बनाए हैं, जो खेती के नए तौर-तरीकों में किसानों को जानकारी प्रदान करते हैं। महाराष्ट्र के कई जिलों में रैलिस इंडिया सब्जी, दाल, कपास व गन्ने की फसल की आधुनिक खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। आय एवं विकास मंत्री (महाराष्ट्र) चंद्रकांत पाटिल बताते हैं, गन्ना भारत की सबसे बड़ी व्यवसायिक खेती में से एक है। यह कुल मिलाकर 52.84 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में की जाती है।

यू एस एग्रोकेम प्रा.लि.

Wholesale Supplier

सूक्ष्म तत्व मिश्रण तरल एवं दानेदार

व्यापारिक पूछताछ आमंत्रित है

प्लाट नं. बी-81, 82, नीलगिरी कॉलोनी, रोड नं. 9 के सामने, वीकेआई एरिया, जयपुर-302013 (राजस्थान)

E-mail : suresh@hindchem.com, Contact : 9004744077

इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि मंडी (e-NAM)

संजय, पीएचडी, कृषि अर्थशास्त्र विभाग, कृषि कॉलेज , संजय कुमार, जिला विस्तार विशेषज्ञ, करनाल, स्वामी ए. एम., पीएचडी, कृषि अर्थशास्त्र विभाग, कृषि कॉलेज, चौधरी चरण सिंह हरयाणा कृषि विश्वविद्यालय

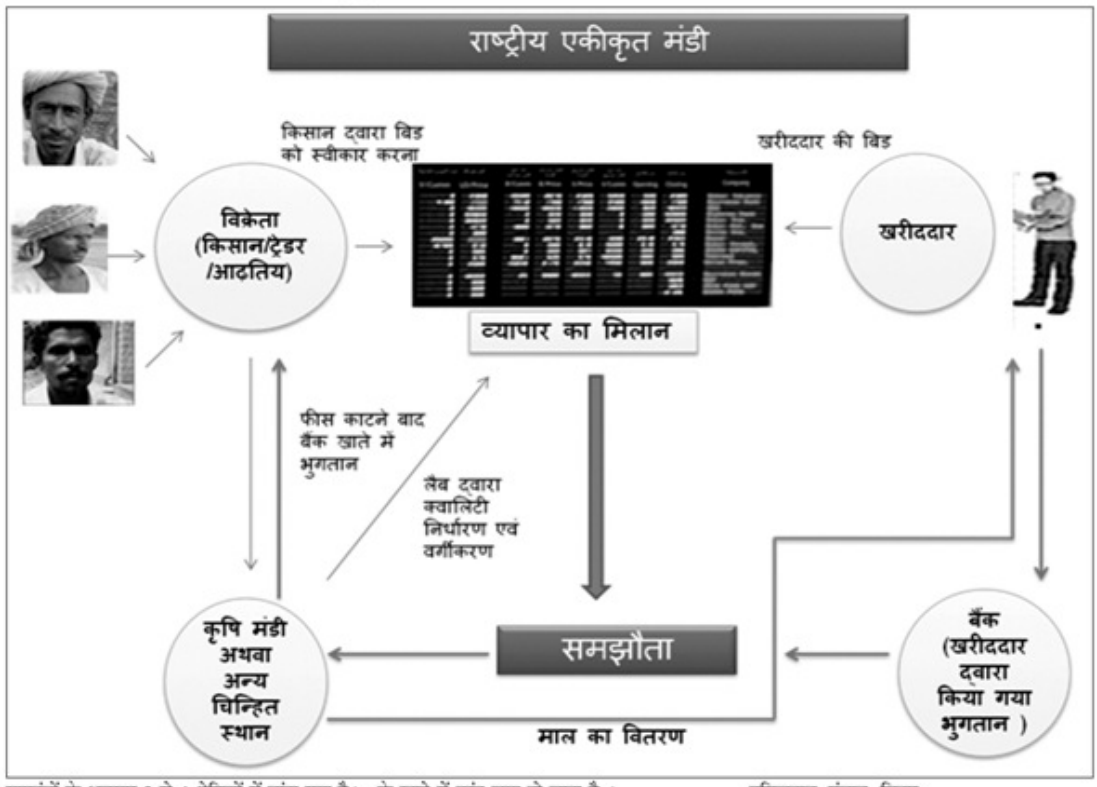

e-NAM का मतलब है राष्ट्रीय एकीकृत मंडी, जिस पर इन्टरनेट के माध्यम से फसलों की खरीद फरोख्त की जा सकती है। आज के किसान की सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक है फसल के उपयुक्त दाम न मिलना। इसको दूर करने हेतु सरकार द्वारा e-NAM का लोकार्पण किया गया है। इससे किसान जो वर्तमान में अपना उत्पाद अपने मंडी क्षेत्र से बाहर नहीं बेच सकता वह अब इसे देश के किसी भी कोने में स्थित व्यापारी जो उसकी फसल का उचित मूल्य देता है उसको बेच सकता है। इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी एस.एफ.ए.सी.(स्माल फार्मर एग्री-बिजनेस कंसोर्टियम) को दी गयी है। इस एकीकृत बाजार से संबंधित जानकारी कोई भी सरकार द्वारा दिए गए टोल फ्री हेल्पलाइन 1802700224 से एवं इन्टरनेट पर http://www.enam.gov.in/NAM/home/inde&.html से भी ले सकते हैं। e-NAM की कार्यप्रणाली, प्रारूप, फायदे एवं परिसीमा अन्य को जाने बिना हमें किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए।

e-NAM की चरणबद्ध कार्यप्रणाली :

1. किसान मंडी में आने के बाद खुद का एवं अपने उत्पाद का मंडी में पंजीकरण करवाता है।
2. किसान को अपना पंजीकरण एक बार ही करवाना होता है।
3. किसान को एक लाइसेंसी आढतिया आवंटित किया जाता है।
4. किसान अपनी फसल क्वालिटी कण्ट्रोल लैब में ले जाता है।
5. लैब द्वारा उत्पाद का वर्गीकरण एवं किसान की राय से रेट(जिसे 'बिड'कहा जाता है) तय किया जाता है।
6. इस रेट(बिड) को e-NAM के वेबसाइट पर दर्ज कर दिया जाता है।
7. देश भर से खरीददार इस पर बोली (बिड) लगाते हैं (सुबह 10 से दोपहर 2 बजे)।
8. किसान जिस भी खरीदार की बिड स्वीकार लेता है उसके नाम से चालान बनजाता है।
9. खरीददार इन्टरनेट द्वारा भुगतान सीधे e-NAM को कर देता है।
10. e-NAM अपनी फीस काटकर भुगतान सीधे किसान के खाते में कर देती है।
11. इसके पश्चात आढ़तिया किसान को (सेल डीड) विक्रय की पर्ची देता है।
12. माल के उठान की सारी जिम्मेदारी अब खरीददार की होती है।
13. किसान अपनी विक्रय पर्ची गेट दिखाकर मंदी से जा सकता है।

किन फसलों में होता है व्यापार

यहाँ पर 69 प्रकार की फसलों में लेन देन किया जा रहा है। इनमें से अब तक 61 फसलों को विभिन्न मापदंडों के अनुसार 3 से 4 श्रेणियों में बांटा गया है। उदाहरण के लिए, सेब को रंग, चमक, आकार, दाग एवं कट के निशानों के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। अपनी फसल को किसान मंडी में मुहैया करवाई गयी लैब से वर्गीकृत करवाता है और उसके पश्चात फसल को दिए गए वर्ग के आधार पर ही लेन देन किया जाता है।

e-NAM का प्रारूप:

e-NAM लक्ष्य एवं मौजूदा अवस्था:

यह स्कीम 1 जुलाई 2015 को 200 करोड़ के बजट के साथ अनुमोदित की गयी थी। इसके तहत प्रति मंदी 75 लाख का बजट स्वीकृत किया गया है। 4 अप्रैल, 2016 से शुरू होने के बाद इसका लक्ष्य मार्च, 2018 तक देश के 13 राज्यों में 585 रेगुलेटेड मॉडियों को जोड़ने का है। सरकार द्वारा दी गयी जानकारी अनुसार जुलाई, 2017 तक इन 13 राज्यों की 484 मंडियों में ई-नाम के द्वारा व्यापार शुरू हो चूका है। मई, 2017 तक 83.5 लाख टन उत्पाद (मोल 19,802 करोड़) का व्यापार पूरा किआ जा चूका है। मई, 2017 तक 45,45,850 किसान, 89,934 ट्रेडर, 46,411 कमीशन एजेंट ने रजिस्टर किया है।

e-NAMके फायदे

1. फसलों के वर्गीकरण की वजह से किसान को तुलनात्मक अधिक आय ।
2. बेचीं गयी फसल का मूल्य सीधे किसान के खाते में तुरंत जमा हो जाता है ।
3. पक्के एवं कच्चे आढ़तियों एवं ट्रेडर के लिए पूरे राज्य/जोन/मंडी में व्यापार करने हेतु एक ही लाइसेंस का प्रावधान। लाइसेंस की अवधि भी बाधा कर 3 साल कर दी गारी गयी। हालाँकि लाइसेंस फीस में देशभर में एकसमान्ता अभी नहीं है।
4. किसान की फसल के लिए अधिक खरीददारों द्वारा बोली लगाये जाने से मिलीभगत की समस्या दूर हो जाती है।
5. किसान को अनुचित फीस कटौती संबंधित धोखाधड़ी एवं अलग फसल हेतु अलग मार्किट फीस की जानकारी रखने से निजात मिलना।
6. कैश मुक्त लेन-देन को बढ़ावा ।

e-NAM की परिसीमा:

1. किसानों एवं अन्य भागीदारों की निरक्षरता एक बहुत बड़ा कारण है जो इसकी सफलता के दायरे को बहुत कमकर देता है।
2. किसानों कंप्यूटर एवं इन्टरनेट के इस्तेमाल में साक्षर न होना।
3. देश की कुल 7190 रेगुलेटेड मॉडियों में से सिर्फ 585 बड़ी मॉडियों को ही इसके अंतर्गत लाने की परियोजना है। इस प्रकार जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वह समयसीमा अनुसार काफी छोटा है।
4. विवाद निपटारण निकाय की गैरमौजूदगी।
5. बड़े राज्यों का कम रुझान जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, बिहार

परवेश शर्मा (पूर्व SFAC अध्यक्ष)। अब तक सिर्फ कुल राज्यों एवं केंद्र शाषित राज्यों में से सिर्फ 17 ने अपने मंडी एक्ट का संशोधन कर e-NAM के लिए जगह बनायीं है।

6. 4 अप्रैल, 2016 से 22 अगस्त,2016 तक मुख्यत: व्यापार सिर्फ हल्दी में हुआ न की अन्य जरूरी फसलें जैसे दालें एवं अनाज। इसलिए अभी तक e-NAM सिर्फ अधिक मुनाफा देने वाली फसलों के व्यापार की ओर केन्द्रित है।
7. नकद लेन-देन का विकल्प न होने से किसानों के इससे दूर रहने की सम्भावना भी है।
8. पीक सीजन के दौरान सॉफ्टवेर का फैल होना (तेलंगाना), क्वालिटी निर्धारण प्रयोगशालाओं की भारी कमी, फसल जब तक न बिके एवं बिकने बाद उसके भंडारण की जगह एवं भंडारण की फ़ीस कौन देगा। भारत सरकार द्वारा पूर्व में जब कृषि मॉडियों में व्यापार को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया था तब भी राज्यों द्वारा इसी प्रकार की कठिनाइयाँ एवं व्यापारी संगठनों का विद्रोह हुआ था। सरकार अगर अपने क्रियान्वित किये गए मॉडल के उद्देश्यों को सफल बनाना चाहती है तो उसे उपरोक्त दी गयी परिसीमाओं पर कार्य करने की जरूरत है एवं किसानों और व्यापारियों में जागरूकता लाना भी एक महत्त्वपूर्ण कार्य है जो आने वाले 1 से 2 साल में इसकी सफलता मापने का पैमाना भी बनेगा।

फसलों में यैलो मोसिक वायरस लाने की सबसे बड़ा कारण सफेद मक्खी

फसलों पर वायरस अटैक कर रहा है। इससे पैदावार कम हो रही है और 3-4 दिन के अन्दर पूरे खेत में फैल जाता है और सम्पूर्ण फसल पीली पड़ जाती है। 90 प्रतिशत से ज्यादा मिर्च की फसल में वायरस को फैलाने में सफेद मक्खी की भूमिका रही है। बीजों का उचित उपचार नहीं किया जाना, साथ ही जानकारी का अभाव, विलंब से मानसून आना। लंबे समय तक पड़ने वाला सूखा भी वायरस को फैलाने में सहयोगी रहा। किसानों द्वारा अंधाधुंध कीटनाशकों का उपयोग, बिना जानकारी के कीटनाशकों के मिश्रण का छिड़काव। किसानों द्वारा लगातार एक ही फसल का लिए जाना। फसल चक्र में बदलाव नहीं करना आदि कारण है। सब्जी की फसलों पर कीटाणु और वायरस अटैक से उड़द, सोयाबीन, मूंग, मूंगफली, चांवल, मक्का, संतरा टमाटर, भटा, मिर्च, गिल्की, लौकी, भिंडी आदि को नुकसान हो रहा है। कीटाणुओं के प्रकोप से कुकरा, मुल्था सहित अनेक रोग लग गए हैं। सब्जी की फसलों में वायरस अटैक, फंगस एवं कीटों के प्रकोप से गुणवत्ता प्रभावित हुई है। वायरस अटैक पर स्टेपेसाइकलिन का स्प्रे फंगस पर वाविस्टीन और जीवाणु विषाणु पर कीटनाशक दवाओं के छिड़काव एवं अन्य साधनों से सिंचाई कर सब्जियों को प्रतिकूल प्रभाव से बचाया जा सकता है। सफेद मच्छर (व्हाइट फ्लाय) फ्यूजेरियन वायरस से बीमारी फैल रही है। फ्लाई पौधों के पत्ते पर बैठकर रस चूस लेते हैं। लार वही छोड़ देने से बीमारी का प्रकोप बढ़ता है। इस पर दवा कारगर साबित नहीं हो रही है। मच्छर पीले रंग की ओर आकर्षित होने से पीले रंग के परपंच खेतों में लगाने चाहिए। वायरस का प्रकोप मिर्च फसलों पर अधिक होता है।

ऐसे करें बचाव: किसानों को खेत में रोग के प्रारंभिक लक्षण दिखने पर पर्णकुंचित पौधे को उखाड़कर गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढंक दे। खेत में सफेद मक्खी को आकर्षित करने के एिल प्रति हैक्टेयर 5-6 पीले प्रपंच चिपचिपे टेग लगाये। मिर्च की फसल के आस-पास या जाल के रूप में गेंदे को रोपे। मिर्च की 15 लाईन के बाद एक लाईन गेंदे की लगाये। परभक्षी पक्षियो को आकर्षित करने के लिए टी आकार के बास के डंडे 15 नग प्रति एकड़ गाड़े।

जैविक उपचार: 20 लीटर गौमूत्र में 5 किलो नीम की पत्ती , 3 किलो धतुरा की पत्ती और 500 ग्राम तम्बाकू की पत्ती, 1 किलो बेशर्म की पत्ती 2 किलो अकौआ की पत्ती 200 ग्राम अदरक की पत्ती (यदि नही मिले तो 50ग्राम अदरक) 250ग्राम लहसुन 1 किलो गुड 25 ग्राम हींग 150 ग्राम लाल मिर्च डाल कर तीन दिनों के लिए छाया में रख दें यह घोले 1 एकड़ के लिए तैयार है इसे दो बार में 7-10 दिनों के अन्तेर से छिद्काव करना है प्रति 15 लीटर पानी में 3 लीटर घोल मिलाना है छिद्काव पूरी तरह से तर करके करना होगा।

मिट्टी की जांच कब , क्यों,कैसे ?

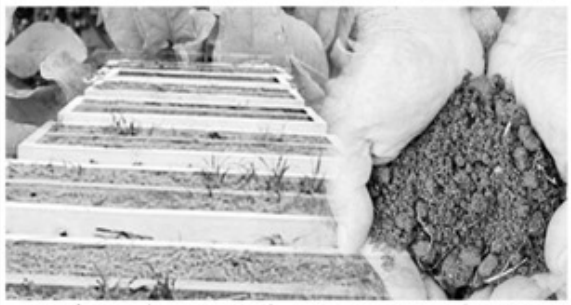

कृषि में मृदा परीक्षण या भूमि की जाँच एक मृदा के किसी नमूने की रासायनिक जांच है जिससे भूमि में उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा के बारे में जानकारी मिलती है। इस परीक्षण का उद्देश्य भूमि की उर्वरकता मापना तथा यह पता करना है कि उस भूमि में कौन से तत्वों की कमी है।

कब

▷फसल की कटाई हो जाने अथवा परिपक्व खड़ी फसल में।

▷प्रत्येक तीन वर्ष में फसल मौसम शुरू होने से पूर्व एक बार।

▷भूमि में नमी की मात्रा कम से कम हो।

क्यों

▷सघन खेती के कारण खेत की मिट्टी में उत्पन्न विकारों की जानकारी।

▷मिट्टी में विभिन्न पोषक तत्वों की उपलब्धता की दशा का बोधक।

▷बोयी जाने वाली फसल के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता का अनुमान।

संतुलित उर्वरक प्रबन्ध द्वारा अधिक लाभ

मृदा पोषक तत्वों का भंडार है तथा पौधों को सीधे खडा रहने के लिए सहारा देती है। पौधों को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये तत्व है-

मुख्य तत्व: कार्बन, हाइडोजन, आक्सीजन, नत्रजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्सिशयम, मैग्नीशियम।

सूक्ष्म तत्व: जस्ता, मैग्नीज, ताँबा, लौह, बोरोन, मोलिबडेनम व क्लोरीन।

इन सभी तत्वों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करने से ही उपयुक्त पैदावार ली जा सकती है। यदि किसी भंडार से केवल निष्कासन ही होता रहे और उसमें निष्कासित मात्रा की पूर्ति न की जाय जो कुछ समय बाद वह भंडार खाली हो जाता है। ठीक यही दशा हमारे मृदा की है। लगातार फसल उत्पादन में वृद्धि एवं बडती सघन खेती के परिणाम स्वरूप पोषक तत्वों का ह्रास भी बड रहा है। परंतु उर्वरकों एवं रासायनिक खादों द्वारा उनकी पूर्ति पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। जिससे हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण होती जा रही है।

कैसे

▷एक एकड़ क्षेत्र में लगभग 8-10 स्थानों से 'V' आकार के 6 इंच गहरे गहरे गड्ढे बनायें।

▷एक खेत के सभी स्थानों से प्राप्त मिट्टी को एक साथ मिलाकर ½ किलोग्राम का एक सन्युक्त नमूना बनायें।

▷नमूने की मिट्टी से कंकड़, घास इत्यादि अलग करें।

▷सूखे हुए नमूने को कपड़े की थैली में भरकर नाम, खेत संख्या, फसल उगाने का ब्यौरा दें।

▷नमूना प्रयोगशाला को प्रेषित करें अथवा' 'परख' मृदा परीक्षण किट द्वारा स्वयं परीक्षण करें

मृदा का नमूना लेने की विधि

▷जिस जमीन का नमूना लेना हो उस क्षेत्र पर 10-15 जगहों पर निशान लगा लें।

▷चुनी गई जगह की उपरी सतह पर यदि कूड़ा करकट या घास इत्यादी हो तो उसे हटा दें।

▷खुरपी या फावडे से 15 सेमी गहरा गड्ढा बनाएं। इसके एक तरफ से 2-3 सेमी मोटी परत उपर से नीचे तक उतार कर साफ बाल्टी या ट्रे में डाल दें। इसी प्रकार शेष चुनी गई 10-15 जगहों से भी उप नमूने इकट्ठा कर लें।

अब पूरी मृदा को अच्छी तरह हाथ से मिला लें तथा साफ कपडे या टब में डालकर डेर बनालें। अंगुली से इस डेर को चार बराबर भागों में बांट दें। आमने सामने के दो बराबर भागों को वापिस अच्छी तरह से मिला लें। यह प्रक्रिया तब तक दोहराएं जब तक लगभग आधा किलो मृदा न रह जाए। इस प्रकार से एकत्र किया गया नमूना पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा।

नमूने को साफ प्लास्टिक की थैली में डाल दें। अगर मृदा गीली हो तो इसे छाया में सूखा लें। इस नमूने के साथ नमूना सूचना पत्रक जिसमें किसान का नाम व पूरा पता, खेत की पहचान, नमूना लेने कि तिथि, जमीन का ढलान, सिंचाई का उपलब्ध स्रोत, पानी निकास, अगली ली जाने वाली फसल का नाम, पिछले तीन साल की फसलों का ब्यौरा व कोई अन्य समस्या आदि का विवरण, कपड़े की थैली में रखकर इसका मुँह बांधकर कृषि विकास प्रयोगशाला में परिक्षण हेतु भेज देवें।

किसान खुद जांच सकेंगे मिट्टी की सेहत

अब किसानों कों मिट्टी की जांच के लिए दर-दर की ठोकरें खाने की जरूरत नहीं है बल्कि वह खुद इसकी जांच करेंगे और दूसरो की मिट्टी जांच कर रुपए भी कमाएंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने हाल ही में इस यंत्र को विकसित किया है और इस यंत्र की विशेषता यह भी है कि मिट्टी की जांच के बाद अलग अलग फसलों के लिए उर्वरकों की मात्राओं को भी बताता है। पहले मिट्टी की जांच के बाद कृषि वैज्ञानिक उर्वरको के प्रयोग की सलाह देते थे। संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक जे पी एस डबास ने बताया कि पूसा स्वायल टेस्ट फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन मीटर यंत्र से प्रशिक्षित किसान मात्र एक घंटे में मिट्टी जांच की रिपोर्ट प्राप्त कर लेते हैं और इसी दौरान उन्हें फसलों के लिये उर्वरकों की मात्राओं की भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। छोटा सा यह यंत्र बिजली और बैट्री दोनों से ही चलता है। बाजार में इसकी कीमत लगभग तीस हजार रुपए है।

मचान विधि से करें खेती, होगा मुनाफा ही मुनाफा

मचान या बाड़ा विधि से खेती करने से किसानों को बहुत से फायदे होते हैं, गर्मियों में अगेती किस्म की बेल वाली सब्जियों को मचान विधि से लगाकर किसान अच्छी उपज पा सकते हैं। इनकी नसरी तैयार करके इनकी खेती की जा सकती है। पहले इन सब्जियों की पौध तैयार की जाती है और फिर मुख्य खेत में जड़ों को बिना नुकसान पहुचाये रोपण किया जाता है। इन सब्जियों की पौध तैयार करने से पौधे जल्दी तैयार होते हैं। मचान या बाड़ा विधि की खेती के रूप में सब्जी उत्पादक करेला, लौकी, खीरा, सेम जैसी फसलों की खेती की जा सकती है। बरसात के मौसम में मचान की खेती फल को खराब होने से बचाती है। फसल में यदि कोई रोग लगता है तो तो मचान के माध्यम से दवा छिड़कने में भी आसानी होती है। मचान या बाड़ा विधि से खेती करने से कई लाभ हैं। बाड़ा विधि में खेत में बांस या तार का जाल बनाकर सब्जियों की बेल को जमीन से ऊपर पहुंचाया जाता है। बाड़ा विधि से सब्जी उत्पादक बेल वाली सब्जियों को उगाने में करते हैं। मचान से किसान 90प्रश. फसल को खराब होने से बचाया जा सकता है।

खेत की तैयारी: खेत की अन्तिम जुताई के समय 200-500 कुन्तल सड़ी-गली गोबर की खाद मिला देना चाहिए। सामान्यत: अच्छी उपज लेने के लिए प्रति हेक्टेयर 240 किग्रा यूरिया, 500 किग्रा सिगंल सुपर फास्फेट एवं 125 किग्रा म्यूरेट ऑफ पोटास की आवश्यकता पड़ती है। इसमे सिंगल सुपर फास्फेट एवं पोटास की पूरी मात्रा और युरिया की आधी मात्रा नाली बनाते समय कतार में डालते है। यूरिया की चौथाई मात्रा रोपाई के 20-25 दिन बाद देकर मिट्टी चढ़ा देते है तथा चौथाई मात्रा 40 दिन बाद टापड्रेसिंग से देना चाहिए। लेकिन जब पौधों को गढ्ढे में रोपते है तो प्रत्येक गढ्ढे में 30.40 ग्राम यूरियाए 80.100 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट व 40.50 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास देकर रोपाई करते है।

कीड़ों व रोगों से बचाव

इन सब्जियों में कई प्रकार के कीड़े व रोग नुकसान पहुचाते है। इनमें मुख्यतःलाल कीड़ा, फलमक्खी, डाउनी मिल्डयू मुख्य है।लाल कीड़ा, जो फसल को शुरु की अवस्था में नुकसान पहुचाता है, को नष्ट करने के लिए इन फसलो में सुबह के समय मैलाथियान नामक दवा का दो ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना कर पौधों एवं पौधों के आस पास की मिट्टी पर छिड़काव करना चाहिए। चैम्पा तथा फलमक्खी से बचाव के लिए एण्डोसल्फान दो मिली लीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना कर पौधों पर छिड़काव करें। चूर्णिल आसिता रोग को नियंत्रित करने के लिए कैराथेन या सल्फर नामक दवा 1.2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी का छिड़काव करना चाहिए। रोमिल आसिता के नियंत्रण हेतु डायथेन एम-45, 1-5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी का छिड़काव करना चाहिए।

सूचना

पाक्षिक समाचार पत्र सृष्टि एग्रो में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों व लेखों में समाविष्ट सभी बातों की जांच-परख कर पाना संभव नहीं है विज्ञापनों में अपने उत्पादनों अथवा अपनी सेवाओं के बारे में विज्ञापनदाता जो दावे करते हैं, सृष्टि एग्रो समाचार पत्र उसकी कोई गारंटी नहीं लेता।

विज्ञापनों में किए गए दावों की पूर्ति यदि विज्ञापनदाता द्वारा नहीं होती है तो उसके लिए पाक्षिक सृष्टि एग्रो समाचार पत्र समूह के मुद्रक, सम्पादक, प्रकाशक व मालिक किसी भी रूप में जवाबदेह नहीं होंगे, कृपया इसे ध्यान में रखें। अतः हम पाठकों से अनुरोध करते हैं विज्ञापन में उल्लेखित बातों के संदर्भ में कोई भी करार करने से पूर्व उसके बारे में आवश्यक छानबीन कर लें।

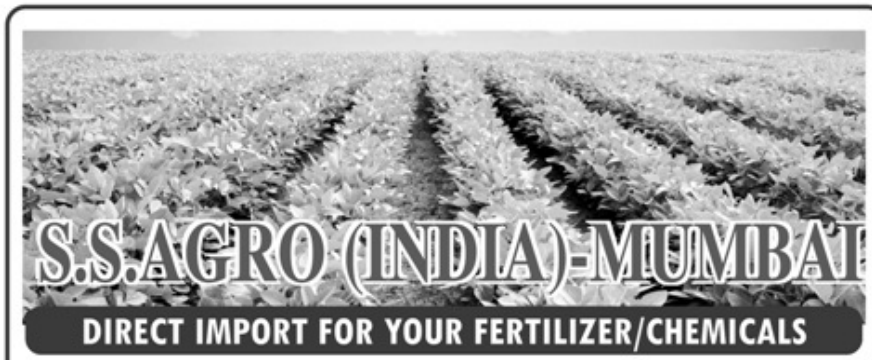

- ZINK EDTA/COPPER
- EDTA/FF/EDTA
- 100% WATER SOLUBLE
- FERTILIZER (NPK)
- HUMIC ACID
- SEAWEED EXTRACT
- AMINO ACID
- POTASSIUM HUMATE
- FULVIC ACID
- EDDHA
- NATCA
- BRASSINOLIDE
- DAP
- SODA ASH
- SODIUM SULPHIDE
- AMONIUM CLORIDE
- SODIUM BICARBONATE
- CALCIUM CARBIDE
- PHOSPHORIC ACID
- TRI SODIUM PHOSPHATE
- CITRIC ACID
- STPP

ALL KIND OF INORGANIC
ORGANIC CHEMICALS
CONTACT NO. 022-6710-3722

दलहन : कम दाम, निर्यात बेदम

सुरेश शर्मा

मुंबई। देश के कई हिस्सों में दलहन की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम होने के बाद सरकार ने निर्यात के दरवाजे खोल दिए। निर्यात शुरू करने का मकसद यह था किसानों को उनके उत्पाद का सही दाम मिले, लेकिन अभी तक इसमें सुधार नहीं हुआ है और कीमतें एमएसपी के नीचे चल रही हैं। अरहर की कीमत 4,000 और मूंग एवं उड़द के दाम 5,000 रुपये के आसपास चल रहे हैं, जिसमें जल्द ही सुधार आने की उम्मीद जताई जा रही है। दलहन निर्यात की अनुमति के बाद कीमतों में और गिरावट दर्ज की गई है। सरकारी आंकड़ों में मूंग की कीमतों में पिछले एक महीने में करीब सात फीसदी की गिरावट आई। एगमार्क के अनुसार महाराष्ट्र में अगस्त में मूंग 5,265 रुपये प्रति क्विंटल बिकी जो सितंबर में 4,672 रुपये प्रति क्विंटल हो गई। पिछले साल सितंबर में राज्य में मूंग की कीमत 5,251 रुपये प्रति क्विंटल थी। अरहर तुअर के दाम में भी करीब पांच फीसदी की गिरावट आई है। महाराष्ट्र की मंडियों में अगस्त में तुअर 4,307 रुपये प्रति क्विंटल थी जो सितंबर में घटकर 4,094 रुपये हो गई। पिछले साल सितंबर में तुअर की कीमत प्रति क्विंटल 7,059 रुपये थी। तुअर के दूसरे प्रमुख उत्पादक

राज्य मध्य प्रदेश में पिछले एक महीने में तुअर में 11 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई है। मध्य प्रदेश की मंडियों में अरहर 3,475 रुपये प्रति क्विंटल बिक रही है जो पिछले माह 3,900 रुपये के करीब थी। खड़ी अरहर की कीमतों में भले गिरावट आई हो लेकिन दाल की कीमतों में कोई फर्क देखने को नहीं मिल रहा है। पिछले महीने तुअर दाल की कीमत 5,603 रुपये प्रति क्विंटल थी जो इस समय भी लगभग समान ही है। दलहन फसलों का सही मूल्य मिले और उत्पादन बढ़े, इसके लिए सरकार ने अरहर, मूंग और उड़द पर 200 रुपये बोनस भी देने का ऐलान किया। सरकार ने बोनस सहित इन फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 5,400 से 5,550 रुपये तय किया है, लेकिन बाजार में कीमतें इससे नीचे ही चल रही है। इसे देखते हुए सरकार ने निर्यात खोलने का फैसला लिया। अधिकारियों के अनुसार निर्यात खोले जाने के बावजूद दलहन फसलें एमएसपी के नीचे चलने के कारण अधिक निर्यात नहीं हो रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी तक मुश्किल से 200 टन दाल का निर्यात किया गया है। निर्यात के लिए कारोबार उत्सुक नहीं हैं क्योंकि वैश्विक कीमतों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होने के कारण निर्यातकों को खास फायदा नहीं होने वाला है। घरेलू बाजार में दाल महंगी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसकी वजह उत्पादन कम होने की बढ़ती आशंका को माना जा रहा है। बाजार के जानकारों की राय है कि खरीफ सीजन में दलहन की पैदावार में कमी आ सकती है क्योंकि बारिश और किसान आंदोलन के कारण इस बार फसल प्रभावित हुई है, जिसका असर उत्पादन में दिखेगा। कारोबारियों के अनुमान के मुताबिक खरीफ दलहन का उत्पादन घटकर 87.1 लाख टन रहने की संभावना है। पिछले साल देश में खरीफ दलहन उत्पादन 94.2 लाख टन था जो अब तक का सबसे अधिक उत्पादन है।

रबी में तिलहन लहलहाने की उम्मीद

मुंबई (कासं)। चालू मॉनसून सीजन के आखिरी दो महीनों के दौरान बारिश के समान वितरण से खरीफ सीजन में तिलहनों का उत्पादन बेहतर रहने की आस जगी है। तिलहन पेराई सीजन 2017-18 के दौरान देश में खाद्य तेल का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के आसार हैं। देश की सबसे बड़ी अनुसंधान कंपनियों में से एक, इंदौर की जीजीएन इंटरनैशनल ने पूर्वानुमान जताया है कि तेल वर्ष (नवंबर से अक्टूबर) 2017-18 के दौरान देश में कुल 76.6 लाख टन खाद्य तेल का उत्पादन होगा, जो पिछले साल 70.5 लाख टन रहा था। ओपनिंग स्टॉक में रिकॉर्ड 24.2 लाख टन की बढ़ोतरी से भारत में घरेलू स्रोतों से खाद्य तेल की उपलब्धता 100 लाख टन से अधिक की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने का अनुमान है। भारतीय खाद्य तेल आयातकों ने कच्चे पाम तेल (सीपीओ) की कीमतों में गिरावट के कारण पिछले कुछ महीनों के दौरान भारी स्टॉक जमा किया है। तेल वर्ष 2016-17 में कुल ओपनिंग स्टॉक (गत वर्ष का बचा स्टॉक) 19.2 लाख टन था, जिससे उस वर्ष देश में खाद्य तेल की कुल उपलब्धता 89.7 लाख टन रही। घरेलू उत्पादन में अनुमानित बढ़ोतरी से देश का सालाना खाद्य आयात बिल कम होने के आसार हैं। इस समय भारत करीब 150 लाख टन खाद्य तेल के आयात पर 65,000 करोड़ रुपये खर्च करता है। इस समय देश में सीपीओ का आयात मुख्य रूप से इंडोनेशिया से, रिफाइंड ऑयल का मलेशिया से, सूरजमुखी के तेल का यूक्रेन से और रिफाइंड सोया तेल का आयात अर्जेन्टीना से होता है। जीजी पटेल ऐंड निखिल रिसर्च कंपनी के प्रबंध निदेशक गोविंदभाई पटेल ने कहा, भारत में पिछले दो साल से लगातार सूखा रहा है, जिससे तिलहन का कम उत्पादन हुआ है। इस वजह से घरेलू स्रोतों से खाद्य तेल का उत्पादन भी कम रहा है। पिछले साल सोयाबीन का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम कम होने से घरेलू तिलहन पेराई कारोबारियों के लिए पेराई करना फायदे का सौदा नहीं था। इसके कारण इस सीजन में अब तक बड़ी मात्रा में सोयाबीन की पेराई नहीं हो पाई है। सरकार ने अगस्त की शुरुआत में आयात शुल्क बढ़ाने का फैसला किया था, जिसे खाद्य तिलहन और तेल थोड़े महंगे हुए हैं, जिससे सोयाबीन की पेराई में कुछ लाभ होने लगा है। फिर भी इस सीजन में 117 लाख टन सोयाबीन के उत्पादन में से 15 लाख टन की पेराई नहीं हो पाएगी, जिसकी अगले सीजन में पेराई होगी।

उदित ओवरसीज प्रा.लि.

राजस्थान सरकार द्वारा उर्वरक अब मान्यता प्राप्त दरों व अनुदान पर उपलब्ध

फर्टिलाइजर
1. जिंक सल्फेट 21 प्रश.
2. जिंक सल्फेट 33 प्रश.
3. फेरस सल्फेट 19 प्रश.
4. कॉपर सल्फेट 24 प्रश.
5. मैग्नीशियम सल्फेट 9.6 प्रश.

बायो फर्टिलाइजर
1. राइजोबियम पाउडर
2. एजेटोबेक्टर पाउडर
3. पी.एस.बी. पाउडर

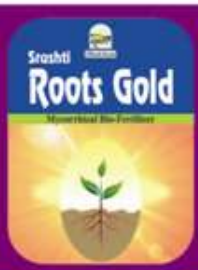

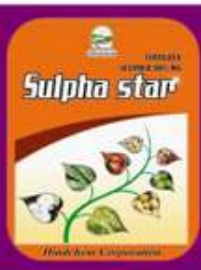

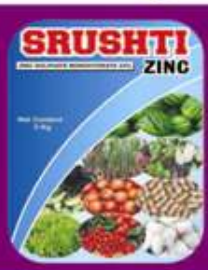

FERTILIZER
- SRUSHTI HIZINC (MICRONUTRIENT MIXTURE)
- ZINC EDTA 12%
- FERROUS EDTA 12%
- BORON 20%
- COPPER SULPHATE 24%
- SULPHUR 90% WG

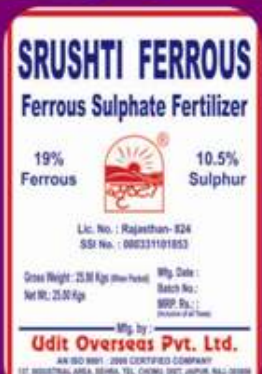

BIO FERTILIZERS
- MYCORRHIZA (ROOTS GOLD)
- AZOSPIRILLUM
- PHOSPHATIC SOLUBILISING BACTERIA (PHOS UP)
- POTTASIUM MOBILIZING (POTA RISE)

WELCOME INQUIRY Contact : 7975653498 (Rajesh Sharma)

137, Industrial Area Dehra, Tehsil Chomu, Dist, Jaipur

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक - सुरेश जी. शर्मा की ओर से सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, शर्मा इंडस्ट्रीयल इस्टेट, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई-63 से मुद्रित किया और 307, लिंकवे इस्टेट, लिंक रोड मालाड (प), मुंबई-400064 यहां से प्रकाशित किया। सम्पादक : सुरेश जी. शर्मा, Contace Detail : Tel. 022-66998360/61, Fax : 022-66450908
E-mail : info@srushtiagronews.com, website : www.srushtiagronews.com RNI No. MAHHIN/2013/49425